

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

स्वच्छता के लिए साईकिल लेकर दौड़ेगा रतलाम

रतलाम 23 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम के चलते नगर निगम द्वारा 24 जनवरी 2021 रविवार को साईकिल दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ में शहर के कोने-कोने से साईकिल सवार शामिल होकर नगरवासियों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का आव्हान करेगे।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ रतलाम साईकिल यात्रा का आयोजन माननीय कलेक्टर व निगम प्रशासक श्री गोपालचंद डाड और जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी के आतिथ्य और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया जा रहा है।

यह साईकिल यात्रा रविवार सुबह 8:30 बजे दो बत्ती से शुरू होकर छत्रीपुल नगर निगम तिराहा कालेज रोड नाहरपुरा डालूमोदी बाजार गणेश देवरी बजाजखाना तोपखाना नीमचौक लौहार रोड आबकारी चौराहा शहीद चौक लोकेन्द्र टाँकीज न्यूरोड से होते हुए पुनः दो बत्ती पहुंचेगी।

आयुक्त सोमनाथ झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने व नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयोजित इस साईकिल यात्रा में ज्यादा से ज्यादा की संख्या में हिस्सा लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम शहर को देश में नम्बर-1 बनाने के प्रयासों में भागीदारी निभाए।

अवैध कालोनी निर्माण कार्य रूकवाया

रतलाम 23 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा होमगार्ड कालोनी रोड स्थित नवकार रेसीडेंसी के निरीक्षण के दौरान कालोनी की बाउण्ड्रीवॉल के समीप अवैध कालोनी का कार्य प्रगति पर पाये जाने पर पंचनामा बनाया जाकर संबंधित कालोनाईजर को कार्य बंद कर भूमि का समलीकरण करने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नवकार रेसीडेंसी के निरीक्षण के दौरान पाया कि कालोनी की पश्चिमी बाउण्ड्रीवॉल के समीप मोहम्मद अजहर पिता असलम खान द्वारा सर्वे क्रमांक 28362 पर अवैध कालोनी निर्माण का कार्य प्रगति पर होकर 10 से 12 मकानों के कॉलम फाण्डेशन लेवल तक डाले गये हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सीएसपी श्री हेमन्त चौहान स्टेशन रोड थाना प्रभारी श्री किशोर पाटनवाला की उपस्थिति में पंचनामा बनाकर संबंधित को कार्य बंद कर भूमि का समतलीकरण करने के निर्देश दिये। संबंधित को पूर्व में नगर निगम द्वारा अवैध कालोनी निर्माण के विरुद्ध सूचना पत्र भी दिया गया था किन्तु संबंधित द्वारा कार्य बंद नहीं किया गया।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास सहायक यंत्री श्री प्याम सोनी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा श्री मनीश तिवारी श्रीमती अनिता ठाकुर झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े सहित पुलिस बल व निगम कर्मचारी उपस्थित थे।

षुभम इण्डस्ट्रीज के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

रतलाम 23 जनवरी । षुभम इण्डस्ट्रीज तीतरी जिला रतलाम द्वारा सैलाना बस स्टैण्ड से बरबड तक कस्तुरबा गर मुख्य मार्ग दो बत्ती से स्टेशन रोड तक महु नीमच रोड मित्र निवास

रोड ए फव्वारा चौक से कोर्ट तिराहे आदि स्थानों के विद्युत पोल पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार थाना स्टेशन रोड पर एफआईआर दर्ज कराई गई।

पुभम् इण्डस्ट्रीज तीतरी जिला रतलाम द्वारा उक्त स्थलों के विद्युत पोलो पर 2 बाय 2 के विज्ञापन होर्डिंग अवैध रूप से लगाये जाने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज कराई गई।

नगर को स्वच्छ बनाने के लिए नजरिया बदलना होगा

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में

जागरूकता कार्यक्रम में गणमान्य नागरिकों ने लिया संकल्प

रतलाम 23 जनवरी । शहर की स्वच्छता को लेकर नगर निगम का अमला दिन-रात काम कर रहा है। साफ-सफाई केवल सफाई कर्मचारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है। यह नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को साफ और सुरक्षित रखें। हमें यह नजरिया बदलना होगा। पुरानी आदतों को बदलने में समय लगेगा। पर मुश्किल काम भी नहीं है।

शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। इसके लिए आम लोगों को भी स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोगों को गंदगी से होने वाले नुकसान से भी अवगत कराया जाता है। साथ ही आसपास की साफ-सफाई के लिए भी प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा कुछ सामाजिक संगठन भी स्वच्छता को लेकर लोगों को लगातार जागरूक करते रहते हैं।

शहर की सफाई के लिए सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है। लोग सड़कनाले और नालियों पर जहां-तहां कूड़े-कचरे को न फेंके बल्कि हमेशा डस्टबिन में ही कूड़े को डालें और इसका निपटान कचरा संग्रहण वाहन में ही करे।

इसके लिए लोगों को भी जागरूक करें। सभी की भागीदारी से ही हम साफ और स्वच्छ शहर की कल्पना कर सकते हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों पर बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर डू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

शनिवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया।

सोमवार से विनोबा नगर में लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 4ए88ए000६. संपत्तिकर व 1ए10ए785६. जलकर जमा कराया

रतलाम 23 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किफ्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1ए10ए000६. व जलकर 6ए000६.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1ए40ए000६. व जलकर 55ए775६.ए अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए38ए000६. व जलकर 49ए010६. की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 4ए88ए000६. संपत्तिकर व 1ए10ए785६. जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लिये 25 व 27 जनवरी को विनोबा नगर पानी की टंकी के पासए वार्ड क्रमांक 6 व 7 के लिये 28 जनवरी को अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 29 जनवरी को तिरूपति नगरए वार्ड क्रमांक 8 के लिये 30 जनवरी को कोमल नगरए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 01 फरवरी को मार्निंग स्टार स्कूलए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 2 से 3 फरवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामनेए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 4 फरवरी को प्रियदर्शनी नगरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगरए वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लिये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 09 फरवरी को कलीमी कालोनीए वार्ड क्रमांक 18 के लिये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गंदगी करने पर 29 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 23 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की इयूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी करने पर मनीष चौहानए रजनीबाईए हरीशए समरथ पाटीदारए श्री महावीर टेन्ट हाउसए किशोरए भारत इलेक्ट्रीक करमदी रोडए इब्राहिम चमारिया नाका पर 500.500ए रविए आनन्द शर्माए सुरेश चमारिया नाका पर 300.300ए अजय महु रोडए शिवम् जावरा रोड पर 250.250ए मोहसिन चमारिया नाकाए मोहम्मद अरशाद पर 200.200ए वैभव जैनए भावेशए लोकेशए चमारिया नाकाए संजू कालिका माता रोड पर 100.100ए कुलदीपए छोटू पानी पतासाए बालाजी चाट सेन्टरए नरेशए बबलूए सन्नी पालए भूपेन्द्रए अशोकए प्रकाश व सुनील कालिका माता रोड पर 50.50 रूपये का स्पॉट फाईन पीओएस मशीन के माध्यम से ऑन लाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाडेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

93 दिनों में 127 वॉल्व व 638 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 23 जनवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 23 जनवरी तक 127 वॉल्व व 638 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘ ‘रतलाम जलशक्ति अभियान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 23 जनवरी शनिवार को त्रिपोलिया गेटए बापू नगरए राजेन्द्र नगर हयात नगर जाने वाली लाईनए विनोबा नगर चन्द्रवेश्वर महादेव मंदिर के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती का कार्य करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पंडितए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 580 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 23 जनवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर

गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 23 जनवरी तक 580 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 23 जनवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 580 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 23 जनवरी को अलकापुरी मुख्य मार्ग व चांदनी चौक से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500६. वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 23 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटोए राशन कार्डए मतदाता परिचय पत्रए आधार कार्डए समग्र आई.डी.ए निःशक्त प्रमाण-पत्रए मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 23 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण

वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें रतलाम 23 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 इस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 23 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पतियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा इस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपडाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला इस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला इस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है।

नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/23ण01ण2021धन.पा.निगमए रतलाम.